न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 69/2020 अपील

ओंकार पिता सोनाथ जाट निवासी– बल्याखेड़ा मजरा देवली तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय कायम मुकाम–
1. श्रीमती हरकू बेवा ओंकार उर्फ (ऊंकार) जाट निवासी बल्याखेड़ा मजरा देवली तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. पाना पुत्री श्री ओंकार उर्फ (ऊंकार) जाट निवासी बल्याखेड़ा मजरा देवली तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. भोला पुत्र ओंकार उर्फ (ऊंकार) जाट निवासी बल्याखेड़ा मजरा देवली तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. रामलाल पुत्र श्री ओंकार उर्फ (ऊंकार) जाट निवासी बल्याखेड़ा मजरा देवली तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

बनाम

1. जिन्दल शॉ लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय ए–1 यू.पी. एस.आई.डी.सी. इण्डस्टियल एरिया, नन्दगांव रोड़, कोशी कलॉ जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) यूनिट ऑफिस जिन्दल शॉ लिमिटेड, आराजी नम्बर 9697/6711 तिरंगा पहाड़ी के पास, पुर पोस्ट भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत किशनगढ़ पं.सं. कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज०) जरिये संरपच ग्राम पंचायत किशनगढ़ पं.सं. कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व निर्णय/आदेश न्यायालय तहसीलदार कोटड़ी जिला भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 01/2020 नामान्तरणकरण जिन्दल शॉ लि० में पारित आदेश दिनांक 20/07/2020

उपस्थित –
1. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रामनिवास गुप्ता अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से
3. श्री दिनेश तिवाड़ी राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.11.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार कोटडी के प्रकरण संख्या 01/2020 नामान्तरण दिनांक 20.07.2020 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम देवली पटवार मण्डल किशनगढ़ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 715/1, 755/715, 756/715, 812/1, 813/1, 815/1 कुल किता 06 रकबा 135 बीघा 08 बिस्वा भूमि खातेदार क्रमशः नन्द सिंह, हेमसिंह राजेन्द्र सिंह, सम्पत सिंह पिता देबी सिंह सा. पितास के नाम जमाबदी संवत

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

2073–2076 मे खातेदारी होकर अधिकार अभिलेख दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी ने उक्त भूमि रूपये एक करोड़ 15 लाख 9 हजार रूपये में दिनांक 03/07/2019 को बजरिये पंजीकृत विकयपत्र के क्रय किया तथा प्रार्थी के आधिपत्य उपयोग व उपभोग मे चली आ रही है, जिससे संबधित नामान्तरणकरण को वास्ते आदेश/स्वीकृति हेतु पटवारी द्वारा बाद जांच भू अभिलेख निरीक्षक के ग्राम पंचायत किशनगढ़ की कोरम के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि को सिलिंग से प्रभावित होना मानते हुए खारीज कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी पक्ष की ओर से ग्राम पंचायत किशनगढ़ द्वारा पारित नामान्तरणकरण आदेश दिनांक 20/08/2019 को उपखण्ड न्यायालय, कोटड़ी में चुनौती दी गई, जिसे बाद सुनवायी उपखण्ड न्यायलाय, कोटड़ी द्वारा अपने अपील प्रकरण संख्या 11/2019 आदेश दिनांक 17/03/2020 से निरस्त किये जाने तथा अजसरे पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड का आदेश होने से मौजूदा प्रकरण सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद जांच पंजीबद्ध किया जाकर ग्राम पंचायत से उक्त प्रकरण संबंधी दस्तावेज तलब किये गये, किन्तु ग्राम पंचायत किशनगढ़ ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में यह तथ्य अंकित किये गये कि विवादित नामान्तरणकरण संख्या 1059 आदेश दिनांक 20/08/2019 को उपखण्ड न्यायलाय, कोटड़ी में चुनौती दी गई, जिसे बाद सुनवाई माननीय उपखण्ड न्यायलाय कोटडी द्वारा अपने अपील प्रकरण संख्या 11/ 2019 आदेश 17/03/2020 से निरस्त किये जाने तथा अजसरे पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड का आदेश होने व उभयपक्षो को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गयी। अपीलार्थीगण जो कि विवादित आराजी मे से भूमि कयशुदा होकर मौके पर कब्जा होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थीगण को सुने अन्य केता बालू जाट, भैरू सिंह की भूमि को सुरक्षित रखते हुए शेष आराजियात का नामान्तरणकरण फैसल किया गया, लेकिन अपीलार्थीगण द्वारा क्रयशुदा भूमि का भी प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में नामान्तरणकरण फैसल करने का निर्णय दिनांक 20/07/2020 को पारित फरमा दिया गया, जो विधि विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा जो नामान्तरणकरण फैसल कर खारीज किया गया, जिसमें बताया गया कि विक्रेतागण का मौके पर कब्जा नहीं है, विक्रेताओं ने पहले ही बिकाव किया हुआ है, लगभग 20 किसानों विगत 50 वर्षो से कब्जा है, उक्त नामान्तरणकरण की अपील

उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी को की गयी, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी द्वारा दिनांक 17/03/2020 को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गयी कि "अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी ओर से पारित आदेश में उल्लेखित आधारो के संबंध में उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में नये सिरे से जांच कर आदेश जारी करे" लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुने व बिना सुनवाई का अवसर दिये, उक्त नामान्तरणकरण फैसल किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। सरहद ग्राम देवली पटवार हल्का देवली तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 715/1 रकबा 400 बीघा 03 तीन बिस्वा जमीन स्थित थी, जो बडद सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह जी राजपूत निवासी– पीथास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त में थी। बडदसिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह राजपूत निवासी पीथास ने उक्त आराजी नम्बर 715/1 मे से 20 बीघा जमीन बिल एवज 99/–रूपये अक्षरे ननियानवे रूपये मे मौखिक तौर पर क्रय की व बाद मे दिनांक 15 पन्द्रह जून 1960 को अपीलार्थी के पक्ष में स्टाम्प पर बेचान नामा निष्पादित कर कब्जा सिपुर्द किया, जिसका राजस्व रेकार्ड जमांबदी संवत 2017 से 2020 मे जरिये नामान्तरणकरण संख्या 58 को आम मजमे ग्राम विकास किशनगढ़ के द्वारा खोला गया। जिस पर अपीलार्थी क्रय की दिनांक 15 जून 1960 से बहैसियत मालिक होकर लगातार अनवरत रूप से बिना किसी दखलन्दाजी के आमजन की जानकारी में आज दिन तक काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिसमे विक्रेता बडद सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह व उसके पुत्र देवी सिंह राजपूत वदेवी सिंह का कभी कोई दखल नही रहा है। अपीलार्थी द्वारा बडद सिंह से भूमि क्रय की, जिसका नामान्तरणकरण राजस्व कर्मचारीयो द्वारा कब्जे की जांच पड़ताल कर मुझ अपीलार्थी के नाम पर दर्ज की, जो संवत 2017 से 2028 तक मुझ अपीलार्थी के नाम पर रही परन्तु उसके बाद आराजी नम्बर 756/715 रकबा 20 बीघा मुझ अपीलार्थी के नाम पर नही रही व मिसल नम्बर 10/71 कंमाक 277 व 3278 दिनांक 18/08/1971 एस.डी.ओ. माण्डलगढ़ के आदेश से जरिये नामान्तरणकरण संख्या 203 से "मुझ अपीलार्थी की आराजियात को मिलाते हुए देबी सिंह पुत्र बडद सिंह की आराजी नम्बर 715 रकबा 234 बीघा 12 बिस्वा को बिलानाम कर दी, जितने विक्रयपत्र थे,

जिनको अदालत ने मान्यता नहीं दी, इसलिए शेष रकबा 135 बीघा 08 बिस्वा देवी सिंह के नाम पर रखी है, बडद सिंह फौत हो चुका है उक्त सिलिंग प्रकरण में अपीलार्थी को नही सुना गया व न सूचना भेजी गयी व बिना किसी सूचना के व बिन सुने अपीलार्थी की खातेदारी आराजियात को वापस पुनः खातेदार देवी सिंह के नाम पर दर्ज कर दी है, जो अवैध है। यहां पर यह लिखना सुसंगत होगा कि कानूनन खातेदार द्वारा जमीन विक्रय करने के बाद खातेदार के अधिकार क्रेता के अधिकार में समाविष्ट हो जाते है। यदि जमीन सिलिंग से प्रभावित थी तो बिलानाम दर्ज हो जानी चाहिए, वापस विक्रेता के पुत्र देबी सिंह के नाम पर दर्ज की. जो गलत की है। नामान्तरणकरण संख्या 203 जिस मिसल के आधार पर खोला गया, जिसे अपीलार्थी के बिकाव को विधि विरूद्ध तरीके से सही नहीं मान अपीलार्थी की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 756/715 रकबा 20 बीघा को विक्रेता देबी सिंह के नाम पुनः नाम दर्ज की है, देबी सिंह के वारीसान द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 को गलत तरीके से विकय की गयी, जो कानूनन पश्चातवर्ती विक्रयपत्र है, जो अपीलार्थीगण के मुकाबले शुरू से ही अवैध है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि विक्रेता देबी सिंह व उनके वारीसान के नाम पर दर्ज होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के यहां वादपत्र पेश किया गया, जिसमे तहसीलदार कोटड़ी स्वयं पक्षकार था, जो प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारीज होने पर पुनः नम्बर हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसमे भी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कोटड़ी पक्षकार होकर उन्हे उक्त तथ्यों की भली भांति जानकारी है व साथ ही सिलिंग एक्ट प्रकरण की अपील जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के यहां पेश कर रखी है, जिसमें भी प्रत्यर्थी संख्या 02 तहसीलदार, कोटडी स्वयं पक्षकार है, जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटड़ी को अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजियात में से आराजी क्रय करने की जानकारी होने व कब्जा अपीलार्थीगण का होने की भली भांति होते हुए भी कानून को बाला ए ताक रखकर मनमकसूद तरीके से बिना अपीलार्थीगण को सुनवायी का अवसर दिये व अन्य क्रेता की भूमि को तो सुरक्षित रखते हुए नामान्तरणकरण फैसल किया गया व अपीलार्थीगण की क्रयशुदा आराजी नम्बर 756/715 रकबा 20 बीघा को सुरक्षित नहीं रख व बिना अपीलार्थीगण को सुने उक्त निर्णय/आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के

विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 01 को बखूबी जानकारी थी कि कयशुदा आराजी पर विक्रेता का कब्जा नही होकर पूर्व क्रेतागण अपीलार्थीगण, बालू जाट पुत्र श्री कजोड़ जाट, भैरू सिंह पुत्र फोज सिंह राजपूत व जोधसिंह गुर्जर अन्य काश्तकारो का कब्जा होकर उपयोग उपभोग मे चली आ रही है व आज भी अपीलार्थीगण का ही कब्जा है। फिर भी उक्त भूमि क्रय की व फिर भी पूर्व क्रेता कब्जेधारी को पक्षकार नही बनाया है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरणकरण फैसल किया व निर्णय दिया है, विक्रयपत्र की आंशिक पालना नहीं की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कब्जे बाबत जांच पड़ताल किये, प्रत्यर्थीगण व राजस्व कर्मचारीयो द्वारा आपस में मिलीभगती कर बिना मौके पर जाकर मौका पर्चा बनाये मनमकसूद जांच रिपोर्ट कर उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.08.2020 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रकरण मे उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटड़ी को अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजियात में से आराजी क्रय करने की जानकारी होने व कब्जा अपीलार्थीगण का होने की भली भांति होते हुए भी कानून को ताक में रखकर मनमकसूद तरीके से बिना अपीलार्थीगण को सुनवायी का अवसर दिये व अन्य क्रेता की भूमि को तो सुरक्षित रखते हुए नामान्तरणकरण फैसल किया गया व अपीलार्थीगण की कयशुदा आराजी नम्बर 756/715 रकबा 20 बीघा को सुरक्षित नहीं रख व बिना अपीलार्थीगण को सुने उक्त निर्णय/आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 01 को जानकारी थी कि कयशुदा आराजी पर विक्रेता का कब्जा नही होकर पूर्व क्रेतागण अपीलार्थीगण, बालू जाट पुत्र श्री कजोड़ जाट, भैरू सिंह पुत्र फोज सिंह राजपूत व जोधसिंह गुर्जर अन्य काश्तकारो का कब्जा होकर उपयोग उपभोग मे चली

आ रही है व आज भी अपीलार्थीगण का ही कब्जा है। फिर भी उक्त भूमि क्रय की व फिर भी पूर्व क्रेता कब्जेधारी को पक्षकार नही बनाया है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरणकरण फैसल किया व निर्णय दिया है, विक्रयपत्र की आंशिक पालना नहीं की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कब्जे बाबत जांच पड़ताल किये, बिना मौके पर जाकर मौका पर्चा बनाये मनमकसूद जांच रिपोर्ट कर उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि तत्कालीन खातेदार बड़द सिंह के खाते में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि दर्ज होने से बड़द सिंह के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी), माण्डलगढ़ के न्यायालय में सिलिंग प्रकरण 10/71 में कार्यवाही चलकर ओंकार जाट के पक्ष में बड़द सिंह द्वारा किये गये कथित विक्रय को सिलिंग न्यायालय ने मान्यता प्रदान नहीं की है। सिलिंग के निर्णय के पश्चात बड़द सिंह के खाते में रही भूमि जो कि तदान्तरण में उसके वारिसान के नाम रही को प्रत्यर्थी कम्पनी ने बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2019 से क्रय कर अधिपत्य प्राप्त किया और भूमि का खाता प्रत्यर्थी के नाम दर्ज चला आ रहा है। अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ के सिलिंग प्रकरण 10/71 में परित निर्णय दिनांक 17.09.1971 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 23 सिलिंग अधिनियम, 1973 ओंकार जाट कायम मुकाम श्रीमती हरकू वगैराह बनाम देवी सिंह कायम मुकाम नन्दसिंह वगैराह प्रकरण संख्या 17/2020 इस न्यायालय में प्रस्तुत की है जो दिनांक 09.09.2021 को खारिज की गयी है। उक्त अपील में प्रत्यर्थी कम्पनी भी पक्षकार मुकदमा है। उक्त अपील के पश्चात अपीलार्थी ने अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ाने की दृष्टि से इस न्यायालय में उसके द्वारा प्रस्तुत अपील के पश्चात् एक और वर्तमान अपील प्रस्तुत की है जो विधितः पौषणीय नहीं है। यहां यह तथ्य न्यायालय के विचारणीय है कि अपीलार्थी ने वर्तमान मामले में इस तथ्य को स्वीकृत किया है कि अपील में वर्णित भूमि के संबंध में सक्षम सिलिंग कोर्ट में प्रकरण संख्या 17/2020 में निर्णय लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुका है, उसके पक्ष में हुए कथित बिकाव को अमान्य किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में ऐसे कथित केता

द्वारा वाद अथवा अपील कानूनन नहीं की जा सकती है क्योंकि सिलिंग अदालत ने अपीलार्थी के कथित बिकाव को सिलिंग लॉ के प्रावधानों के Defeat करने की नियत से अमाननीय किया है। अपीलार्थी द्वारा अनावश्यक रूप से वाद बाहुल्यता (Multiplicity of Litigation) बढ़ाने की नियत से वर्तमान अपील प्रस्तुत की है जो कि Frivolous होकर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जावे। विपक्षी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त फलस्वरूप मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक 7106–37 दिनांक 19.05.2004 की प्रति पेश की गयी।

विपक्षी की बहस उपरान्त अपीलार्थी अधिवक्ता ने रिवटल (खण्डन) में विधिक दृष्टान्त 2020 (1) सीजे (सिवि.) 152 मा. सुप्रीम कोर्ट का प्रस्तुत कर बताया कि पंजीकरण अधिनियम 1908 धारा 17(1) ख अनुसार यदि अचल सम्पत्ति का मूल्य सौ रूपये या उससे अधिक हो तो उसका पंजीकरण करवाया जाना अपेक्षित होगा। इसी प्रकार विधिक दृष्टान्त 2020 डीएनजे (रिव.)33 बोर्ड ऑफ रेवेन्यु बोर्ड अजमेर का प्रस्तुत कर बताया कि विक्रय विलेख 31.12.1969 के पूर्व का होने से सीलिंग एक्ट की धारा 30 डीडी (1) के अन्तर्गत मान्य हैं।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात अनुसार पाया कि तत्कालीन खातेदार बड़द सिंह के खाते में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि दर्ज होने से बड़द सिंह के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ के न्यायालय में सिलिंग प्रकरण 10/71 में कार्यवाही चलकर ओंकार जाट के पक्ष में बड़द सिंह द्वारा किये गये कथित विक्रय को सिलिंग न्यायालय ने मान्यता प्रदान नहीं की है। सिलिंग के निर्णय के पश्चात बड़द सिंह के खाते में रही भूमि जो कि तदान्तरण में उसके वारिसान के नाम रही को, प्रत्यर्थी कम्पनी जिन्दल सॉ लिमि. ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2019 से क्रय कर ली और भूमि का खाता प्रत्यर्थी के नाम दर्ज चला आ रहा है। अपीलार्थी ने अपील प्रकरण संख्या 17/2020 में इस तथ्य को स्वीकृत किया है कि अपील में वर्णित भूमि के संबंध में सक्षम सिलिंग कोर्ट में प्रकरण संख्या 10/71 में निर्णय लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुका है, उसके पक्ष में हुए कथित बिकाव को अमान्य किया जा चुका है।

अपीलार्थी ने स्वयं अपील मेमो में अंकित किया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि विक्रेता देबी सिंह व उनके वारीसान के नाम पर दर्ज होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के यहां वादपत्र पेश किया गया, जो प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारीज होने पर पुनः नम्बर हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया। जो वर्तमान जैरकार हैं। इस प्रकार अपीलार्थी के हक अधिकारों की घोषणा जरिये वाद से होना हैं। इसके अलावा भी अपीलार्थी ने इसी न्यायालय में सीलिंग न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के निर्णय सन् 1971 के आदेश के विरूद्व अपील प्रकरण संख्या 17/2020 प्रस्तुत की थी, जो दिनांक 09.09.2021 को खारिज की गयी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा अनावश्यक रूप से वाद बाहुल्यता बढ़ाने की नियत से वर्तमान अपील प्रस्तुत की है। वैसे भी म्यूटेशन अपील Summary Proceding हैं, जिसके माध्यम से हक व अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार कोटडी प्रकरण संख्या 01/2020 नामान्तरकरण निर्णय दिनांक 20.07.2020 के क्रम में सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा